Dr. Priti Ranjan
H.D. Jain College (Ara)
Deptt of History
B.A Part - III
Paper - VI

Nehru
Committee

नेहरु कमिटी रिपोर्ट के प्रावधानों को बताए ?
नेहरु कमिटी की रिपोर्ट क्या थी ? इसका विरोध मो० जिन्ना ने क्यों किया ?

Ans:— २४ नवम्बर 1927 को हाउस ऑफ लार्डस में ब्रिटिश कैबिनेट में अनुदार दल के भारत मन्त्री लार्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती देते हुए कहा कि वे ऐसे संविधान का निर्माण कर ब्रिटेन की संसद के समक्ष पेश करें जिसे भारत के सभी वर्ग स्वीकार करते हो भारत मन्त्री की धारणा थी कि भारत में जाति-धर्म - भाषा आदि की विभिन्नता और मतभेद के कारण भारतवासी कभी भी एक सर्वसम्मत संविधान नहीं बना पायेंगे. राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत मन्त्री की चुनौती को स्वीकार कर लिया.

सर्वदलीय सम्मेलन और नेहरु समिति का गठन :—

कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन की चुनौती को स्वीकार करते हुए 28 फरवरी, 1928 को दिल्ली में एक 'सर्वदलीय सम्मेलन' का आयोजन किया. इसमे 29 संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, सभी पक्ष इस बात पर सहमत थे कि 'पूर्ण उत्तरदायी शासन' को आधार बनाकर नया संविधान बनाया जाए दो महीने में सम्मेलन की कुल 25 बैठकें हुई और अनेक प्रश्नों पर प्रतिनिधि सहमत थे. इसके बाद 19 मई 1928 को ये प्रतिनिधि बम्बई में एकत्र हुए. इस बार संविधान का ड्राफ्ट बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरु की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई. इस समिति में दो मुसलमान तथा एक सिख सदस्य भी थे, इस समिति ने 19 बैठकों में संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया. समस्त दलो का सम्मेलन फिर लखनऊ में डॉ० अन्सारी की अध्यक्षता में हुआ. इसमें संविधान के ड्राफ्ट को स्वीकार कर लिया गया. यह नये संविधान का ड्राफ्ट ही 'नेहरु रिपोर्ट' के नाम से प्रसिद्ध है.

डोमिनियन रिपोर्ट में 'डोमिनियन स्टेट्स' को पहला लक्ष्य एवं 'पूर्ण स्वराज्य' को दूसरा लक्ष्य घोषित किया गया।

नेहरू समिति

अध्यक्ष → मोतीलाल नेहरू

सदस्य → सर अली इमाम, एम. एस. अणे, तेजबहादुर सप्रू, मंगल सिंह, जी. आर. प्रधान, शुऐब कुरैशी और सुभाष चन्द्र बोस।

नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें

धाराएँ :—

नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 में प्रकाशित हुई. इसकी प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थी :—

1 ⟹ औपनिवेशिक स्वराज्य :— भारत को ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर वैसा ही औपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाए, जो ब्रिटेन के दूसरे उपनिवेशों को प्राप्त है.

2 ⟹ केन्द्र व प्रान्तों में उत्तरदायी शासन :— प्रान्तों में द्वैध शासन का अन्त करके उत्तरदायी शासन की स्थापना हो. कार्यपालिका की शक्ति सम्राट में रहेगी, किंतु उसका प्रयोग गवर्नर-जनरल उसके प्रतिनिधि के रूप में करेगा। गवर्नर-जनरल राज्य के संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में अपने लोकप्रिय मंत्रियों के परामर्श से कार्य करेगा। मंत्रिपरिषद् अपने कार्यों के लिए केन्द्रीय विधान मंडल के प्रति उत्तरदायी रहेगी। केन्द्रीय कार्यकारिणी की सदस्य संख्या सात होगी जिसमें एक प्रधानमंत्री और 6 मंत्री होंगे।

3 ⟹ संघीय व्यवस्था :— भारत के लिए संघात्मक शासन ही उपर्युक्त बताया गया. देशी राज्यों की समस्या का इसमें कोई उल्लेख नहीं था। परन्तु भविष्य में देशी राज्यों को भारत के साथ मिलाकर एक संघ की स्थापना की सिफारिश की गयी थी। रिपोर्ट में भारत संघ की स्थापना को एक सुंदर संभावना समझा गया था। संघ सरकार को राज्यों के प्रति वे ही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो अबतक प्रांतों में ब्रिटिश भारत की सरकार के थे। यद्यपि ब्रिटिश भारत की सरकार एकात्मक होगी तथापि और प्रांतीय और स्वायत्त शासन की आवश्यकता को स्वीकार किया गया।

इसलिए केन्द्र और प्रांतों में एक संघ की भाँति शक्ति-विभाजन की स्थापना की गयी थी, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि केन्द्र को अधिक शक्तियाँ दी जाएँ।

4. मूल अधिकार :— नेहरू रिपोर्ट में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की एक लम्बी सूची दी गयी थी और जनता की संप्रभुता को स्वीकार किया गया था। स्त्रियों, श्रम, पूँजी तथा दलित वर्गों की रक्षा का आश्वासन दिया गया और अल्पमत वालों के लिए उनके धर्म, भाषा और संस्कृति की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संरक्षण की व्यवस्था की गयी थी।

5. पृथक निर्वाचन प्रणाली का उन्मूलन :— रिपोर्ट में साम्प्रदायिक निर्वाचन के बदले संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था की गयी थी। अल्पमत वालों के लिए जनसंख्या के आधार पर स्थान सुरक्षित रखने तथा शेष स्थानों के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया था। पंजाब और बंगाल में किसी जाति के लिए स्थान सुरक्षित नहीं रखा गया था। जिन प्रांतों में मुसलमान अल्पसंख्या में थे वहाँ उनके लिए स्थान सुरक्षित रखने की योजना थी।

6. सर्वोच्च न्यायालय :— नेहरू रिपोर्ट में भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना पर बल दिया गया। कहा गया कि भारत के लिए यही अन्तिम न्यायालय होना चाहिए, ब्रिटेन की प्रिवी परिषद में अपील भेजने की व्यवस्था को समाप्त करने की सिफारिश की गई।

7. नये प्रान्तों का निर्माण :— रिपोर्ट में सिन्ध को बम्बई प्रान्त से पृथक करने की सिफारिश की गई (यह बात मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए थी)